शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक
06.12.2014

संख्या–2599/नौ–8–2014–97ज/13

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 **निदेशक,**
नगरीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

2 **प्रबन्ध निदेशक,**
जल निगम,
उत्तर प्रदेश।

3 **समस्त नगर आयुक्त,**
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

4 **समस्त अधिशाषी अधिकारी,**
नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
द्वारा– जिलाधिकारी।

नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊः: दिनांक 18 अक्टूबर, 2014

विषयः दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में नागर निकायों द्वारा अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2072(1)/9–8–2014–27ज/2013 दिनांक 22.08.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में विचार विमर्श किये जाने हेतु मा0 मुख्य न्यायाधीश मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 21.08.2014 को अपरान्ह 4.30 बजे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के मीटिंग हाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न निर्देश दिये गये थे :–

(1) प्रत्येक जनपद से जनपदीय स्तर का नोडल अधिकारी नामित किया जाय।

(2) राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादो को पहले से ही चिन्हित कर लिया जाय, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाय कि जो वाद सामान्य प्रक्रिया में राष्ट्रीय लोक अदालत की निर्धारित तिथि दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 के पहले निपटाये जा सकते हों, तो उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु न रोका जाय तथा ऐसे वादों का प्रभावी प्रयास कर निस्तारण कराया जाय।

GO R

(3) राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय। ऐसे वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण कराये जाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाय, जिसे सामान्य तौर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाया जा सकता है और यदि उन्हें न निपटाया जाये तो भविष्य में गम्भीर दुर्घटना/प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण बन सकते हैं।

3— अतः कृपया दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में नागर निकायों से सम्बन्धित वादों का निस्तारण कराये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराकर जनसामान्य को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

28/10/2014

(श्रीप्रकाश सिह)

सचिव।

संख्या– 2599(1)/नौ–8–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने जनपद से सम्बन्धित नागर निकायों में लम्बित अधिक से अधिक वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराये जाने के लिए प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर प्रभारी अधिकारी नागर निकाय को नोडल अधिकारी नामित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

28/10/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।